

कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति

अपना खेत अपना काम (महात्मा गाँधी नरेगा योजना)
: चैक लिस्ट :

कार्य का नाम :

वार्षिक कार्य योजना क्रमांक :

ग्राम ग्राम पंचायत पंचायत समिति

क्र.सं.	दस्तावेज	हाँ/नहीं	वि.वि.
1	प्रार्थना पत्र मय फोटो		
2	कृषि भूमि का ट्रेस/नक्शा		
3	जमाबन्दी		
4	बी.पी.एल. का प्रमाण पत्र		
5	आवेदन पत्र पर कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर		
6	कार्य के पूर्व का फोटो 6 x 4 का		
7	सरपंच/सचिव के आवेदन पर हस्ताक्षर		
8	तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति		
9	पशुओं की संख्या		
10	फलदार पौधों की संख्या		
11	वर्मी/नडीप कम्पोस्ट		
12	मेडबन्दी मीटर में		
13	कैटेगिरी : एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./सामान्य		

सरपंच
ग्राम पंचायत.....

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत

कृषि पर्यवेक्षक
ग्राम पंचायत

कनिष्ठ अभि./क.त.सहायक

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कंटल शेड निर्माण हेतु आवेदन पत्र

जिला कलक्टर

फोटो छाया
करे

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कंटल शेड निर्माण हेतु आवेदन।

मैं महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कंटल शेड निर्माण योजना का लाभ लेना चाहता हूँ। मेरा विवरण निम्नानुसार है। मैं योजना में निर्धारित अभिसरण (Convergence) हिस्सा राशि देने एवं अन्य शर्तों की पालना करने हेतु सहमत हूँ।

1. नाम पशुपालक
2. पिता/पति का नाम
3. पूर्ण पता
4. ग्राम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति का नाम : मोबाईल नं०.....
5. अनु.जाति/अनु.जनजाति/बी.पी.एल./लघु सीमान्त कृषक:.....
6. लघु सीमान्त कृषक की भूमि का विवरण (हेक्टेयर में).....
7. बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम
8. खाता संख्या:.....
9. पशुपालक के पास उपलब्ध पशुधन का विवरण :-

क्र.स.	पशुधन	
	किस्म	संख्या
1.	गो वंश	
2.	भैंस वंश	
3.	बकरी वंश	

निर्माण कार्य स्वयं की स्वामित्व वाली भूमि पर ही किया जायेगा एवं नरेगा योजनान्तर्गत समय-समय पर जारी किये जाने वाले सभी दिशा निर्देशों की पालना मेरे द्वारा की जायेगी।

सलग्नक :-

1. फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति
2. बैंक/..... के पास बुक की छाया प्रति
3. कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज की छाया प्रति

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

प्रति हस्ताक्षर
निकटतम पशु चिकित्सक / LSA

महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत
अपना खेत अपना काम व्यक्तिगत कार्य हेतु आवेदन
कार्यालय पंचायत समिति गंगापूर सिटी जिला सवाई माधोपुर राज0

लाभार्थी का नाम		ग्राम		ग्राम पंचायत					
पुत्र/पुत्री /पत्नी		जॉव कार्ड न0		मोबाइल नम्बर		बी पी एल नम्बर			
जाति		परिवार एवं कृषक श्रेणी (सही का निशान लगावें)							
लाभार्थी की श्रेणी	बी पी एल(2002)	एस सी	एस टी	पूर्व का इन्दिरा आवास लाभार्थी	विधवा /एकल महिला मुखिया	विकलांग मुखिया परिवार	लघु कृषक	सीमान्त कृषक	अन्य पात्र लाभार्थी

लाभार्थी के स्वामित्व / हिस्से की भूमि का विवरण

खसरा न0	कुल रकवा हैक्टेयर	नोशनल शेयर	खातेदारी / मालिक का नाम मय वल्लियत/खसरा न. जिसमें कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।						
मुख्य एक्टिविटी के नाम (सही का निशान लगावें)	पशु आश्रय	बागवानी	मेडबन्धी	भूमि विकास कार्य	उपजाऊ मिट्टी भरना	फार्म पोण्ड	पानी टांका	चैकडेम	
सिंचाई व्यवस्था	धोरा	कम्पोस्ट पिट	डिच कम बण्ड	थोर फेंसिंग	सुखे पत्थरों की पिचिंग	छायादार पौधारोपण	अन्य कार्य		

नोट:- प्रार्थी के खेत की आवश्यकतानुसार अधिकाधिक (MAXMIMUM) एक्टिविटी ली जानी चाहिए।

घोषणा :- मैं महात्मा गाँधी नरेगा योजना के समस्त प्रावधानों का पालन करूंगा। इस योजना में मैंने पूर्व में किसी प्रकार का लाभ नहीं उठाया है। तथा मेरी भूमि इसी ग्राम पंचायत में है। जिसमें मैं निवास करता हूँ मे जॉव कार्ड धारी परिवार हूँ तथा अपने खेत पर स्वम भी कार्य करने को तैयार हूँ कंटल शंड हेतु में प्रतिबधित भूमि यथा वन भूमि / चारागाह / रास्ता / वेंटलेण्ड / मन्दिर माफी / कब्रिस्तान / राजकीय भूमि पर निर्माण नहीं करूँगा उपरोक्त तथ्य गलत पाए जाने पर / राजकीय राशि के दुरुपयोग हेतु में स्वम जिम्मेदार होऊँगा तथा व्यय राशि मुझसे वसूलनीय होगी जिस भूमि पर कार्य कराना है।

उसका नजरी नक्शा सलग्न है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त प्रस्तावित भूमि पर किसी भी न्यायालय में कोई याद/स्थगन नहीं है। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि उक्त सूचना सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर लाभार्थी

आवश्यकतानुसार सहमति

मैं/हम/शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/ करते है कि उक्त सूचना सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मेने / हमने उपर लिखि शर्ते पढ ली है। और तदनुरूप उक्त लाभार्थी जो कि मेरा /हमारा पारिवारिक सदस्य है। के हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य कार्य हेतु सहमति दे दी

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम मय बल्लियत	नाम मय बल्लियत	नाम मय बल्लियत	नाम मय बल्लियत

पुष्टि एवं अभिषंशा

प्रार्थी ने योजनान्तर्गत पूर्व में लाथ प्राप्त नहीं किया है। कार्य ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित है। एवं महात्मा गाधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाथ हेतु अनुमत श्रेणीके आधार पर पात्रता रखता है। कैंट शैंड हेतु प्रतिबधित भूमि यथा वन भूमि / चारागाह / रास्ता / वेंटलेण्ड / मन्दिर माफी / कब्रिस्तान / राजकीय भूमि पर निर्माण नहीं कराया जायेगा अतः उक्त सूचनाओं की पुष्टि की जाकर महात्मा गाधी नरेगा योजना में कार्य लिए जाने हेतु अभिषंशा की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील ग्राम सेवक

प्रार्थी अथवा परिवार का कोई व्यक्ति राजीविका स्वम सहायता समूह का सदस्य होने की दशा में		
समुह सदस्य का नाम	समुह का नाम	समुह का कोड / यू आई डी

राजीविका प्रतिनिधी के हस्ताक्षर मय नाम एवं पद

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
सचिव	हल्का पटवारी	कृषि पर्यवेक्षक	तहसीलदार	कार्यक्रम अधिकारी
ग्राम पंचायत	हल्का ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत.....		नरेगा राज0
				पंचायत समिति गंगापुर सिटी

प्रमाण पत्र

आवेदनकर्ता / लाभार्थी
से(क्र.स.) का इन्द्राज नरेगा सॉफ्ट के करा लिया
गया है एवं अंकित लाभार्थियों का आधार बैंक खाते से लिंक
करवाया जा चुका है।

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत

विकास अधिकारी
पंचायत समिति गंगापुर सिटी

प्रमाण पत्र

आवेदनकर्ता / लाभार्थी
से(क्र.स.) का इन्द्राज नरेगा सॉफ्ट के करा लिया
गया है एवं अंकित लाभार्थियों का आधार बैंक खाते से लिंक
करवाया जा चुका है।

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत

विकास अधिकारी
पंचायत समिति गंगापुर सिटी

महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत
'अपना खेत अपना काम' व्यक्तिगत कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र
कार्यालय पंचायत समिति जिला (राज.)

लाभार्थी का विवरण

लाभार्थी का नाम		ग्राम		ग्राम पंचायत					
पुत्र/पुत्री/ पत्नी		जॉबकार्ड नं.	मोबाईल नं.		बी.पी.एल नं.				
जाति									
परिवार एवं कृषक श्रेणी (सही का निशान लगावें)									
लाभार्थी की श्रेणी	बी पी एल (2002)	एस. सी.	एस. टी	पूर्व का इन्दिरा आवास लाभार्थी	विधवा/ एकल महिला मुखिया	विकलांग मुखिया परिवार	लघु कृषक	सीमांत कृषक	अन्य पात्र लाभार्थी

लाभार्थी के स्वामित्व/हिस्से की भूमि का विवरण

खसरा नं०	कुल रकबा हैक्टैंगर	नोशनल शंखर	खातेदारों/मालिक का नाम मय वल्लिद्यत/खसरा नं जिसमें कार्य कराया जाना प्रस्तावित है						
मुख्य एकटीविटी के नाग (सही का निशान लगावें)	पशु आश्रय	बागवानी	मैलबन्दी	भूमि विकास कार्य	उपजाऊ मिट्टी भरना	फार्मपोण्ड	पानी टाका	चैकडैम	
सिंचाई व्यवस्था (कैदल श्रम)	घोरा	कम्पोस्ट पिट	डिच कम वण्ड	थोर फेंसिंग	सुखे पत्थरों की पिछिंग	छायादार पीधारोपण	अन्य कार्य		

नोट : प्रार्थी के खेत की आवश्यकतानुसार अधिकाधिक (Maximum) एकटीविटी ली जानी चाहिए।
घोषणा - मैं महात्मा गांधी नरेगा योजना के समस्त प्रावधानों का पालन करूंगा। इस योजना में मैंने पूर्व में किसी प्रकार का लाभ नहीं उठाया है तथा मेरी भूमि इसी ग्राम पंचायत में है जिसमें मैं निवास करता हूँ। मैं जॉबकार्ड धारी परिवार हूँ तथा अपने खेत पर स्वयं भी कार्य करने को तैयार हूँ। केवल शौड हेतु मैं प्रतिबंधित भूमि यथा वन भूमि/चारागाह/रास्ता/वेटलेण्ड/मन्दिर माफ़ी/कब्रिस्तान/राजकीय भूमि पर निर्माण नहीं करूंगा। उपरोक्त तथ्य गलत पाए जाने पर/राजकीय राशि के दुरुपयोग हेतु मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा, तथा व्यय राशि मुझसे वसुलनीय होगी। जिस भूमि पर कार्य कराना है, उसका नजरी नक्शा संलग्न है मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त प्रस्तावित भूमि पर किसी भी न्यायालय में कोई वाद/स्थगन नहीं है। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि उक्त सूचना सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर लाभार्थी

आवश्यकतानुसार सहमति

मैं/हम शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करते हैं कि उक्त सूचना सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैंने/हमने उपर लिखी शर्तें पढ़ ली है और तदनुसार उक्त लाभार्थी जो कि मेरा/हमारा पारिवारिक सदस्य है, के हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य हेतु सहमति दे दो है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम मय वल्लिद्यत	नाम मय वल्लिद्यत	नाम मय वल्लिद्यत	नाम मय वल्लिद्यत

पुष्टि एवं अभिशंषा

प्रार्थी ने योजनान्तर्गत पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया है, कार्य ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित है एवं महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ हेतु अनुमत श्रेणी के आधार पर पात्रता रखता है। केवल शौड हेतु प्रतिबंधित भूमि यथा वन भूमि/चारागाह/रास्ता/वेटलेण्ड/मन्दिर माफ़ी/कब्रिस्तान/राजकीय भूमि पर निर्माण नहीं कराया जायेगा। अतः उक्त सूचनाओं की पुष्टि की जाकर महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य लिए जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील ग्रामसेवक	हस्ताक्षर मय सील ग्रामसेवक
प्रार्थी अथवा परिवार का कोई व्यक्ति राजीविका सदस्य सहायता समूह का सदस्य होने की दशा में -	प्रार्थी अथवा परिवार का कोई व्यक्ति राजीविका सदस्य सहायता समूह का सदस्य होने की दशा में -
समूह सदस्य का नाम	समूह का नाम
राजीविका प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मय नाम एवं पद	समूह का कोड/युआईडी

लघु, सीमान्त, सामान्य प्रमाण पत्र / सिंचाई प्रमाण पत्र / जाति प्रमाण पत्र

राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि कृषक

श्री ----- पुत्र/पत्नी श्री -----
जाति ----- ग्राम ----- तहसील -----

का निवासी है, जो कि अनु.जाति/अनु.जन जाति/ सामान्य कृषक की श्रेणी में आता है।

1- उक्त कृषक के खसरा नम्बर ----- पर कुआं/नलकूप/
फार्मपौण्ड स्थित है।

या

2- कृषक के पडौसी श्री ----- पुत्र श्री -----
के खसरा नम्बर ----- में कुआं/नलकूप/फार्मपौण्ड
स्थित है।

(जो आवश्यक न हो उसे काट दे)

जिसके द्वारा आवेदक कृषक की खसरा नम्बर -----
की भूमि रकबा ----- हैक्टर सिंचित होती है। कृषक
के पास कु भूमि ----- हैक्टर है एवं उक्त कृषक
----- लघु/ सीमान्त / सामान्य कृषक की श्रेणी में आता
है।

प्रति हस्ताक्षर मय सील
तहसीलदार
तहसील -----

हस्ताक्षर मय सील
पटवारी
पटवार हल्का -----

कार्यालय ग्राम पंचायत -----पंचायत समिति -----

जिला -----राजस्थान

शौचालय प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती -----

पुत्र/पत्नी श्री -----निवासी -----

तहसील ----- जिला -----

राजस्थान अपने घर में शौचालय का उपयोग करते/करती है एवं परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं करता हैं।

उक्त प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से दिनांक -----
को जारी किया गया।

हस्ताक्षर सचिव/कनिष्ठ लिपिक

ग्राम पंचायत -----

हस्ताक्षर सारपंच

ग्राम पंचायत -----

पंचायत समिति -----

जिला -----

"अपना खेत अपना काम योजना" के अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति हेतु बैंक लिस्ट :-

1. पूर्णतः भरा हुआ आवेदन पत्र।
2. प्रार्थी की भूमि की जमाबन्दी की नकल (ई-मित्र द्वारा जारी नकल मान्य)।
3. प्रार्थी की भूमि का नजरी नक्शा।
4. जॉबकार्ड की फोटोप्रति।
5. बैंक पास बुक एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति।
6. प्रस्तावित कार्यस्थल (कृषि भूमि/आवासीय भूमि) का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटो (प्रार्थी के साथ)।
7. पशु आश्रय स्थल आवासीय भूमि में निर्मित करवाने की दशा में सादे कागज पर स्वयं लिखित एवं हस्ताक्षरित नजरी नक्शा।
8. प्रार्थी के आवेदन के अनुसार जमीन के सुधार को ध्यान में रखकर अनुमत मॉडल के अनुरूप जेटीए/जेईएन द्वारा तैयार किया गया तकमीना एवं राक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तकनीकी स्वीकृति।

बैंक

शाखा प्रबन्धक

बैंक

शाखा

विषय: मेरे नाम से बैंक खाता संख्या को आधार/यूआईडी से
लिंक करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मेरा बैंक खाता संख्या आपकी शाखा.....
(शाखा का नाम) में है। मैं भारत सरकार द्वारा जारी मेरा आधार/यूआईडी नम्बर स्वेच्छा से
जमा करवा रहा हूँ एवं इसे,

- मेरे उक्त खाता संख्या से लिंक किया जावे।
- मेरे उक्त बैंक खाते को एनपीसीआई से मैप किया जावे ताकि मेरे उक्त बैंक खाते में डी.बी.टी./ए.बी.पी.एस. के माध्यम से राशि हस्तान्तरित/जमा हो सके। मुझे इस बारे में जानकारी है कि यदि मेरे नाम से एक से अधिक लाभ स्थानान्तरण देय हैं तो मुझे सभी लाभ स्थानान्तरण इस खाते से प्राप्त होंगे।
- मेरे आधार के विवरण के उपयोग से मुझे यूआई.डी.ए.आई. से अधिप्रमाणित कराया जावे।
- मेरे खाते में किसी भी प्रकार के लेनदेन की सूचना मुझे नीचे वर्णित मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के जरिए भिजवाई जावे।

आधार/यूआई.डी. का विवरण निम्न प्रकार है :-

आधार/यूआई.डी. नम्बर

आधार धारक का नाम

मुझे यह जानकारी दे दी गई है कि बैंक को मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी ऊपर वर्णित बिन्दुओं के अलावा अथवा कानूनन आवश्यकता के अतिरिक्त अन्य दूसरे उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं की जावेगी।

भवदीय,

(खाताधारक के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान)

नाम

मोबाईल नम्बर

ई-मेल

संलग्न: स्वयं द्वारा प्रमाणित आधार नम्बर की प्रति

बैंक खाते को आधार नम्बर के साथ लिंक/जोड़े जाने का सात्यापन

खाता संख्या श्री/श्रीमती के साथ

(बैंक का नाम) शाखा

को आधार/यूआई.डी. नम्बर के साथ लिंक किया जाता है।

दिनांक

(बैंक के प्रमाणित अधिकारी के हस्ताक्षर)

ग्रामीण विकास मंत्रालय,
भारत सरकार

सहमति पत्र

मैं (नाम) जॉब कार्ड नम्बर धारक

आधार नम्बर कार्यकारी विभाग, राजस्थान सरकार एवं

ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत मेरी उपस्थिति एवं पहचान के लिए मेरी सहमति दे रहा हूँ।

(हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

नाम

दिनांक

पहचानकर्ता / द्वारा सत्यापन .

(हस्ताक्षर)

नाम :

पद / पता :

.....

कार्यविशेषाभ्यर्चना

कार्यविशेषाभ्यर्चना

श्रीमान विकास अधिकारी
पंचायत समिति गंगपुर शिटी

विषय :- स्वीकृति हेतु प्रस्तावित कार्य पत्रावली के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम पंचायत

है। श्रीमान जी निम्न कार्यो को नरेंगा शीपट पर ऑनलाइन करने / सेवायोर पर दर्ज कराने की अनुमति प्रदान करे जिससे पत्रावली स्वीकृति हेतु भिजवाई जा सके।

ऑन लाईन हेतु प्रस्तावित कार्य सूची विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम / लाभार्थी / पिता / पति का नाम / जॉब कार्ड नम्बर	पत्रा ईन्टर / उत्तरा नम्बर	ग्राम सभा प्रस्ताव / वार्षिक कार्य योजना 2020-21 क्रमांक	कार्य श्रेणी एससी / एसटी / बीपीएस आदि

नोट- व्यक्तिगत लाभार्थी हेतु

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वीकृति हेतु प्रस्तावित कार्यो के उक्त लाभार्थी एससी, एसटी, बीपीएस एवं अनुमत् श्रेणी के हैं एवं सभी लाभार्थी जॉब कार्ड धारी हैं उक्त लाभार्थीयो के पूर्व में नरेंगा योजनागत अपना खेत अपना काम के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत नही हुआ है। एक जॉब कार्ड धारी पर एक कार्य प्रस्तावित किया गया है उक्त कार्यो पर स्वयं लाभार्थीयो द्वारा भी कार्य किया जावेगा। उक्त कार्य ऑनलाईन च स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

कार्यालय ग्राम पंचायत..... पंचायत समिति

महा0 गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ/अपना खेत अपना काम के तहत कार्यो की स्वीकृति हेतु लाभार्थी की अनुमत श्रेणी कें संबध में प्रमाण-पत्र

प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लाभार्थी श्री/श्रीमति.....पुत्र/पत्नि श्री.....
.....ग्रामग्राम पंचायत.....

एससी / एसटी / बीपीएल / विधवा / दिव्यांग / आवास योजना के लाभार्थी.....
(श्रेणी का नाम) श्रेणी का है। अतः उक्त लाभार्थी महा0 गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ अपना खेत अपना काम के तहत कार्य स्वीकृति हेतु अनुमत श्रेणीका सदस्य है। मनरेगा अन्तर्गत उक्त लाभार्थी के व्यक्तिगत कार्य की स्वीकृति जारी करने की अभिशंषा की जाती है।

नोट-

1. लाभार्थी की श्रेणी विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है।
2. लाभार्थी की श्रेणी दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यांग का प्रमाण पत्र संलग्न है।
3. लाभार्थी की श्रेणी बीपीएल होने की स्थिति में बीपीएल राशन कार्ड एवं बीपीएल कमांक..... की प्रति संलग्न है।
4. केन्द्र/राज्य सरकार की आवास योजना के लाभार्थी की श्रेणी हेतु आवास की स्वीकृति की प्रति संलग्न हैं।

(प्रमाण-पत्र प्रत्येक कार्य के प्रस्ताव के साथ संलग्न करे।)

सरपंच

ग्राम पंचायत.....

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत.....

कनिष्ठ अभियन्ता / तकनीकी सहायक
पंचायत समिति.....